बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

पटना, दिनांक 22/04/26

संचिका संख्या–07/मु0–02–90/2026 1409 / माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–12870/2025 मो0 नसीम हाशमी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–18.08.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में यह आदेश निर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–18.08.2025 को न्यायादेश पारित की गई, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"... The petitioner is said to have given his choice of posting in the blocks namely Kanti, Mushari and Bochaha. The office order issued by the Director, Primary Education as contained in Memo No. 1934, dated 14.07.2025, goes to show that the Department has come out with a letter asking the concerned candidate to give their choice of posting. If such exercise is being taken by the Department to give his choice posting, as per the Policy, then the authorities are under obligation to respect such choices as submitted by them.

5. From the contentions made in the petition, it is apparent that the choices given by the petitioner has not been considered and it is his case that the posting at present, where the petitioner is said to have been given, is far away from the place and even the seniority of the petitioner vis-a-vis others is said to have been compromised. The Department is expected to consider the same and make all possible steps to post them as per their choice. These type of grievances, this Court is facing in various cases. It is expected that some modalities be framed to maintain the office in order, so that the exercise, which is expected in terms of the Policy is carried out in letter and spirit.

6. If the representation is said to have been made by the petitioner, which is appended as Annexure-P/8 is required to be considered and the petitioner proposes to file a detail representation. If so advised, in the event, of such representation having been filed, the said representation is required to be considered within a period of four weeks, taking into account that the commitment with the State Government notified in terms of their own Policy, and ensure that the petitioner does not get prejudice in any manner and the appropriate postings are made without any delay and the students are not allowed to suffer in any manner.

7. Accordingly, this writ petition is disposed of..."

3. उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्त्ता द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के निष्पादन हेतु याचिकाकर्त्ता को विभागीय पत्रांक–1281 दिनांक–10.04.2026 एवं पत्रांक–1316 दिनांक–15.04.

2025 द्वारा अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष सुनवाई का मौका दिया गया। सुनवाई के क्रम में उनके अधिवक्ता द्वारा पक्ष रखा गया। जिसे विस्तार पूर्वक सुना गया।

4. याचिकाकर्त्ता का कथन है कि मेरा चयन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या–25/2024 के तहत प्रधान शिक्षक के पद के लिए हुआ। विभागीय पत्रांक–1851 दिनांक–02.07.2025 द्वारा तीन प्रखण्ड चयन करने हेतु निर्देश दिया गया। उक्त के आलोक में मेरे द्वारा ई–शिक्षाकोष पोर्टल पर कॉंटी, मुशहरी एवं बोचहाँ प्रखण्ड का चयन किया गया। जबकि विभागीय पत्रांक–1934 दिनांक–14.07.2025 द्वारा श्री नसीम हाशमी को कटरा प्रखण्ड आवंटित किया गया। जबकि मुझसे कम अंक वाले को कॉंटी, मुशहरी एवं बोचहाँ प्रखण्ड आवंटित किया गया है। साथ ही इनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि मेरे द्वारा चयनित प्रखण्ड कॉंटी, मुशहरी एवं बोचहाँ प्रखण्ड आवंटित किया जाय।

5. अंकनीय है कि विभागीय ज्ञापांक–896 दिनांक–26.03.2025 द्वारा गठित समिति की दिनांक–01.07.2025 को निदेशक, प्राथमिक शिक्षा की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों को विभागीय दिशा–निर्देश के अनुरूप ***Merit-cum-Choice*** के आधार पर सफल अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्प एवं जिलावार उपलब्ध रिक्तियों के आलोक में सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुल 35334 अभ्यर्थियों को विभागीय ज्ञापांक–1837 दिनांक–01.07.2025 द्वारा जिला आवंटित किया गया। उक्त के आधार पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी में वरीयता क्रमांक–23671 तक के अभ्यर्थियों को मुजफ्फरपुर जिला आवंटित हुआ। चूंकि वादी श्री नसीम हाशमी का वरीयता क्रमांक–16942 है, इसलिए उन्हें भी मुजफ्फरपुर जिला आवंटित हुआ।

6. तदोपरांत उक्त अभ्यर्थियों के लिए आवंटित जिलान्तर्गत पदस्थापन हेतु तीन–तीन प्रखण्ड के विकल्प की मांग की गई एवं उक्त समिति की दिनांक–12.07.2025 को सम्पन्न बैठक में कुल 35333 सफल अभ्यर्थियों को विभागीय ज्ञापांक–1934 दिनांक–14.07.2025 के द्वारा प्रखण्ड/विद्यालय आवंटित किया गया। इस प्रकार याचिकाकर्त्ता द्वारा चयनित प्रखण्ड कॉंटी, मुशहरी एवं बोचहा का मेधा क्रमांक क्रमशः 8596, 3016 एवं 12046 तक के मेधा क्रमांक वाले 'अत्यंत पिछड़ा वर्ग' श्रेणी के अभ्यर्थियों को चयनित प्रखण्ड आवंटित किया गया। चूंकि वादी मो0 नसीम हाशमी का वरीयता क्रमांक–'16942' है, तदनुसार चयनित प्रखंड आवंटित न होकर उन्हें कटरा प्रखण्ड आवंटित किया गया।

उक्त अभिमत्त के साथ याचिकाकर्त्ता के दावे को अस्वीकृत करते हुए मामले को निस्तारित किया जाता है।

(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07 / मु0–02–90 / 2026......1408...... पटना, दिनांक 22/04/26

प्रतिलिपिः– Md Nasim Hashmi, Son of Abdul Mannan, Resident of Village and Post Ahiyapur, PS Sahebganj, District Muzaffarpur को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07 / मु0–02–90 / 2026......1408...... पटना, दिनांक ......22/04/26......

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।